

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अ

देनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
२१/१२	<p>उत्प्रेरित आदेशिका ३५०/२१ परावकी से सम्बन्धित वाद पुनः दर्ज होकर इस न्यायालय में विचारार्थी है। कदाचित्त इस उद्यम के खर्चों का कोई इतिहास नहीं है। इस उद्यम को २०१२ वर्ष की गयी है। उद्यम से काठ होकर वाद समाप्त होना चाहिये।</p> <p style="text-align: right;">१/१२</p>